UPMH120001832011

न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड़) फरेन्दा, जनपद महराजगंज।

उपस्थिति- अखिल कुमार निझावन (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

मूलवाद संख्या- 338/ 2011

01- माया देवी पत्नी मनबहाल

निवासी ग्राम- चकदह, टोला- मरचहां, तप्पा- सिरसिया, परगना- विनायकपुर, तहसील- नौतनवां, जिला महाराजगंज

वादिनी

बनाम

01- श्रीमती ध्रुवतारा पत्नी रामबेलास

निवासी ग्राम- चकदह, टोला- मरचहां, तप्पा- सिरसिया, परगना- विनायकपुर, तहसील- नौतनवां, जिला महाराजगंज

प्रतिवादिनी प्रथम पक्ष

02- श्रीमती बैजयन्ती पत्नी सुबाष

निवासी ग्राम- चकदह, टोला- मरचहां, तप्पा- सिरसिया, परगना- विनायकपुर, तहसील- नौतनवां, जिला महाराजगंज

प्रतिवादिनी द्वितीय पक्ष

आदेश

प्रस्तुत वाद वादिनी द्वारा बैनामे मंसूखी हेतु संस्थित किया गया है।

वादिनी द्वारा वाद पत्र में यह कथन किया गया है कि अन्य आराजियात के अलावा आराजी संख्या- 2124, रकबा- 2. 728 हे. स्थित ग्राम- चकदह, टोला- मरचहां, तप्पा- सिरसिया, परगना- विनायकपुर, तहसील- नौतनवां, जिला महाराजगंज की सह संक्रमणीय भूमिधर की मालकिन मु. सलहन्ती रही, बाद दफात मु. सलहन्ती वसीयतनामा दिनांक 05- 10- 2001 के आधार पर वादिनी जरिए जोत जरायत मालिक व काबिज दाखिल चली आ रही है, जिसे आगे विवादित आराजी की भूमि के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। मु. सलहन्ती के कोई औलाद नहीं रही। वादिनी ही मु. सलहन्ती जब तक जीवित रही तब तक उसकी सेवा जतन किए, इसलिए मु. सलहन्ती अपने जीवनकाल में दिनांक 05- 10- 2001 को अपनी खुशी रजामन्दी से बिला जब्र व दबाव दीगर के वादिनी के हक में अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति का रजिस्टर्ड वसीयतनामा तहरीर तकमील कर दिया। प्रतिवादिनीगण के पति मु. सलहन्ती के भतीजे है, उन लोगों का आना- जाना मु. सलहन्ती के घर था, भतीजा होने के नाते मु. सलहन्ती उन लोगों पर ज्यादा विश्वास करती थी। प्रतिवादिनीगण के पति वादिनी से यह कहते रहे कि बुआ विधवा हो गयी, इसको सरकार से पेंशन फार्म भरवाकर के हर माह कुछ रूपया दिलवा दे, इस पर वादिनी विश्वास करके मु. सलहन्ती को

दिनांक 23- 06- 2010 को प्रतिवादिनी को पति के साथ भेज दी। शाम को जब मु. सलहन्ती घर आयी तब बतायी कि अगले माह से पैसा आना शुरू हो जाएगा। वादिनी जब दिनांक 20- 07- 2010 को खरीफ की फसल काश्त करने के लिए खेती गृहस्थी कराने लगी तब प्रतिवादिनीगण के पति वादिनी के विवादित आराजी की भूमि में खेती गृहस्थी करने में हस्तक्षेप करने लगे और यह कहे कि विवादित आराजी की भूमि का पचास- पचास डि. प्रतिवादिनीगण के रजिस्ट्री बैनामा लिया है, यह सुनकर वादिनी आवाक हो गयी। चूंकि सलहन्ती उक्त दिन अपने मायके में ही थी, वादिनी अपने माता सीताराम को लेकर मु. सलहन्ती के पास पहुंची और उनसे रजिस्ट्री बैनामा की बात पूछी तो उसने किसी तरह का रजिस्ट्री बैनामा होने से इन्कार कर दी। मु. सलहन्ती अपने भतीजे से तथा तथाकथित रजिस्ट्री बैनामा रद्द करने केलिए दबाव डालने लगी कि प्रतिवादिनीगण व उसके पति साज- बाज करके दिनांक 25- 07- 2010 को मु. सलहन्ती को साजिश मार डाला, जिसकी दरख्वास्त वादिनी के मामा सीताराम ने दिया। वादिनी ने कथित रजिस्ट्री बैनामा के खारिज दाखिल मकुदमा में हाजिर होकर आपत्ति के लिए समय लिया और बादहू दिनांक 16- 11- 2010 को दोनों तथाकथित रजिस्ट्री बैनामा की नकल हासिल किया, तब जुमला बातों की जानकारी हुई। तथाकथित दोनों रजिस्ट्री बैनामा दिनांकित 23- 06- 2010 नाविस्ता मु. सलहन्ती बहक प्रतिवादिनीगण वजूद जैल बिल्कुल नाजायज जाली व बिला किसी प्रतिफल के कथा काले अदम है और उसकी कोई पाबन्दी वादिनी पर नहीं है। हरगिज मु. सलहन्ती ने अपने स्वस्थ मस्तिष्क से तथा कथित रजिस्ट्री बैनामा तहरीर व तकमील नहीं किया है। तथाकथित रजिस्ट्री बैनामा किसी प्रतिफल के है। प्रतिवादिनीगण व उसके पति साजिशन विधवा पेंशन दिलाने के बहाने तथा कथित दनों रजिस्ट्री बैनामा बिला जानकारी मु. सलहन्ती के करा लिए हैं। तथाकथित रजिस्ट्री बैनामा के साक्षी व गवाहान प्रतिवादिनीगण के पति के मेली मददगार है। विवादित आ़राजी की भूम पर जब तक मु. सलहन्ती जीवित रही जरिए जोत जरायत काबिज दाखिल रही बाद दफात मु. सलहन्ती वसीयतनामा दिनांक 05- 10- 2001 के वादिनी जरिए जोत जरायत काबिज दाखिल चली आ रही है ।विवादित आराजी की भूमि पर किसी तरह से कोई कब्जा दखल प्रतिवादिनीगण का नहीं है और न ही भविष्य में हो सकता है। तथा कथित रजिस्ट्री बैनामा एक रद्दी कागज है, उसका एक्ट अपानी नहीं हुआ है। वादिनी के हकूक पर तथाकथित रजिस्ट्री बैनामा के कायम रहने से असर पड़ने का अंदेशा है, चूंकि वादिनी ने प्रतिवादिनीगण से गुजारिश की कि वह तथाकथिथ रजिस्ट्री बैनामा दिनांकित 23- 06- 2010 मंसूख कर देवे और उसने बुआ पर कोई हक व हिस्सा अन्दर विवादित आराजी की भूमि में जाहिर न करे, लेकिन वे सुननवा नहीं हो रहे है, लेहाजा नालिश जरूरी है।

प्रतिवादीगण को प्रस्तुत वाद की कार्यवाही में भाग लेने हेतु दिनांक 02- 05- 2011 को समन जारी किया गया, किन्तु प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण दिनाँक 20- 03- 2023 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी।

वादिनी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फेहरिस्त सूची 06 ग द्वारा वसीयतनामा छायाप्रति 07 ग 1ता 3 तथा नकल दस्तावेज बैनामा 8 ग 1ता 34, सूची 14 ग के माध्यम से भूलेख खतौनी 14 ग 1, पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर पारित आदेश की नकल कागज सं. - 14 ग 2, बैंक खाता स्टेटमेन्ट की छायाप्रति कागज सं. - 14 ग 3, माल गुजारी की रसीद 14 ग 4 ता 6, आधार कार्ड की छायाप्रति 14 ग 8, न्यायालय सी. जे. एम. महोदय द्वारा पारित आदेश की प्रति- 14 ग 9 दाखिल किया गया।

वादिनी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी. डब्लू. 01- माया देवी, पी. डब्लू. - 02- सीताराम को शपथ पर परीक्षित कराया गया।

मैंने वादिनी के विद्वान अधिवक्ता श्री शमशाद अली खां को एकपक्षीय रूप से पूर्व नियत तिथि पर सुना तथा पत्रावली का परीशिलन किया।

[वादी को अपना वाद स्वयं के बल पर साबित करना है एवं वह प्रतिवादी के कमजोरियों एवं अनुपस्थिति का लाभ प्राप्त नही कर सकता है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हवीव उल्ला बनाम मौ०यासीन 1995 एल. सी. डी. पेज- 1073, माता प्रसाद सिंह उर्फ सिंह बनाम अंजनी कुमार तिवारी 2001) जे. सी. एल. आर. 153 इलाहाबाद में अवधारित किया है कि वादी को अपना वाद स्वयं अपने साक्ष्य से साबित करना है वह प्रतिवादीगण की कमजोरियों का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।

"Maya Devi Vs. Lalta Prasad AIR 2014 S. C. 1356 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि वादी के पक्ष में कोई एक पक्षीय निर्णय मात्र इस आधार पर पारित नहीं किया जा सकता कि प्रतिवादी उपस्थित नही हुआ है और कोई प्रतिवादी पत्र दाखिल नहीं किया है। अपने दावे की सफलता के लिए वादी को अपना केस साबित करना ही होगा। वादी को वादपत्र के अभिकथनों को साबित करना होगा। वादी वादपत्र के अभिकथनों को साबित करने में सफल रहा। इस सम्बन्ध में अपना पूर्ण समाधान संतुष्टि होने पर ही न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में अनुतोष दिया जा सकता है। कोई भी अनुतोष प्रदान करने से पूर्व न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि वादपत्र के कथनों को पूरी तरह साबित किया गया है। मात्र इस आधार पर कि प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ है और उसके द्वारा प्रतिवाद पत्र दाखिल नही किया गया है वादी के पक्ष में स्वतः डिक्री पारित नहीं की जा सकती।"

हस्तगत वाद वादिनी द्वारा वाद पत्र में वर्णित दो बैनामे दिनांक 23- 06- 2010 के मंसूखी के बावत दाखिल किया गया है। वादिनी द्वारा वाद पत्र में यह कथन किया है कि आराजी सख्या- 2124, रकबा- 2. 728 हे. की सह संक्रमणीय भूमिधर मालिक मु. सलहन्ती बेबा राधे रहीं। वादिनी का यह भी कथन है कि मु. सलहन्ती ने अपने जीवनकाल में दिनांक- 05- 10- 2001 को अपनी खुशी रजामन्दी से बिला जब्र व दबाव के वादिनी के हक में अपनी समस्त चल- अचल सम्पत्ति का रजिस्टर्ड वसीयतनामा तहरीर व तकमील किया। बाद वफात मु. सलहन्ती वसीयतनामा दिनांक 05- 10- 2001 के आधार पर वादिनी जोर जराय मालिक काबिज दाखिल चली आ रही है। वादिनी द्वारा आगे कथन किया गया है कि प्रतिवादिनीगण के पति सरकार से पेंशन फार्म भरवाने दिनांक 23- 06- 2010 को साथ ले गए तथा अपने नाम से बैनामा करवा लिया। वादिनी का कथन है कि दोनों रजिस्ट्री बैनामा दिनांकित- 23- 06- 2010 नाविस्ता मु. सलहन्ती बहक प्रतिवादिनीगण जाली व बिला किसी प्रतिफल के तथा काले अदम है तथा मु. सलहन्ती ने अपने स्वस्थ मस्तिष्क से तथा तथाकथित रजिस्ट्री बैनामा तहरीर व तकमील नहीं किया है। कथित बैनामा बिना प्रतिफल के है। वादिनी द्वारा प्रतिवादिनी से तथाकथित रजिस्ट्री बैनाम दिनांकित- 23- 06- 2010 को मंसूख करने की गुजारिश पर प्रतिवादिनीगण द्वारा मना करने पर उसे वाद का कारण प्राप्त हुआ।

वादिनी का कथन कि मु. सलहन्ती ने अपने जीवनकाल में दिनांक- 05- 10- 2001 को उसके हक में अपनी समस्त चल- अचल सम्पत्ति का रजिस्टर्ड वसीयतनामा तहरीर व तकमील किया। बाद वफात मु. सलहन्ती वसीयतनामा दिनांक 05- 10- 2001 के आधार पर वादिनी जोर जराय मालिक काबिज दाखिल चली आ रही है। वादिनी द्वारा कथन

किया गया है कि प्रतिवादीगण के पति ने पेंशन का फार्म भरवाने के बहाने फर्जी तरीके से बैनामा निष्पादित कराया है। वादिनी का कथन है कि उक्त बैनामा सलहन्ती ने अपने स्वस्थ मस्तिष्क से तहरीर व तकमील नहीं किया है, न ही उसे कोई प्रतिफल प्राप्त हुआ है। प्रतिवादीगण के द्वारा विधवा पेंशन दिलाने के बहाने प्रश्नगत बैनामे का निष्पादन कराया गया।

प्रतिवादीगण को प्रस्तुत वाद की कार्यवाही में भाग लेने हेतु समन 02- 05- 2011 को समन जारी किया गया, जिस पर **प्रतिवादीगण जरिए अधिवक्ता श्री सुनील श्रीवास्तव दिनांक 24- 10- 2011 को पत्रावली पर उपस्थित आए**, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर दाखिल वकालतनामा कागज सं- 13 ग से होती है, किन्तु अनेकों अवसर दिए जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस पर लगभग 12 वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात न्यायालय के द्वारा दिनाँक 20- 03- 2023 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी। दिनांक- 07- 04- 2023 को वादिनी की ओर से साक्ष्य दाखिल कर अन्य कोई साक्ष्य न देने का पृष्ठांकन पत्रावली पर किया गया है, जिसके पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

वादिनी साक्षियों ने अपने सशपथ मौखिक साक्ष्य द्वारा दावे में किए गए कथन को एकपक्षीय रूप से साबित किया है, जिसका समर्थन उपरोक्त अभिलेखीय साक्ष्य से भी होता है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के विपरीत पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे वाद पत्र में किए गए अभिवचनों एवं वादिनी द्वारा प्रस्तुत मौखिक प्रलेखीय साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। ऐसी स्थिति में वादिनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डित है।

आदेश

वाद वादिनी एकपक्षीय रूप से आज्ञाप्त किया जाता है। तदनुसार दस्तावेज रजिस्ट्री बैनामा नाविस्ता मु. सलहन्ती बहक प्रतिवादिनी संख्या- 1 ध्रुवतारा दिनांक- 23- 06- 2010 को फोटो स्टेट प्रति पुस्तक सं- 1 खण्ड 1442 के पृष्ठ 1/ 32 पर क्रम सं- 2303 व तथा कथित रजिस्ट्री बैनामा नाविस्ता मु. सलहन्ती बहक प्रतिवादी संख्या- 02 बैजयन्ती दिनांक- 23- 06- 2010 को फोटो स्टेट प्रति पुस्तक सं- 1 खण्ड़- 1442 के पृष्ठ 71/ 102 पर क्रम सं- 2305 पर रजिस्ट्रीकृत किये गए है, को मंसूख किया जाता है।

आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्यालय सब रजिस्ट्रार, नौतनवां, तहसील- नौतनवां, जनपद महराजगंज को अविलम्ब प्रेषित की जाए।

दिनाँक - 10- 01- 2024

(अखिल कुमार निझावन)
सिविल जज (अवर खण्ड) , फरेन्दा,
जनपद महराजगंज।
J. O. Code- UP3212

मेरे द्वारा आज एक पक्षीय निर्णय दिनाँकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनाँक- 10- 01- 2024

(अखिल कुमार निझावन)
सिविल जज (अवर खण्ड) , फरेन्दा,
जनपद महराजगंज।
J. O. Code- UP3212